ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः–

प्रधानः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री तेज सिंह ठाकुर	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्री संजय कुमार	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुरेश कुमार	1.4.2014 से 25.11.2014
2	श्री दलीप सिंह	25.11.2014 से 14.5.2015
3	श्री गुरमीत सिंह	14.5.2015 से 15.9.2015
4	श्री दलीप सिंह	15.9.15 से 2.5.2016
5	श्री संजीव कुमार	02.5.2016 से 12.12.2016
6	श्री दलीप सिंह	12.12.2016 से 30.1.2017
7	श्री संजीव कुमार	31.1.2017 से अद्यतन

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली/पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.28
2	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना	—
3	5	पंचायत राजस्व वसूली शेष	14.57
4	6	निर्धारित मात्रा/सीमा से अधिक नकदी रखना	—
5	7	अनुदानों का उपयोग न करना	26.72
6	9	पंचायत निधि से अधिक भुगतान	0.04
7	10	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करना	1.11
8	11	बिना उचित बिल/वाउचर के अनियमित व्यय	0.78

भाग—दो

2 वर्तमान अकेंक्षणः—

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवम् वर्तमान अंकेक्षण श्री विनय कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 24.7.17 से 29.7.17 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः निम्न मासों का चयन किया गयाः—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014—15	12/2014	01/2015
2015—16	03/2016	07/2015
2016—17	03/2017	01/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में, अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होंने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल

प्रदेश) शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 02 दिनांक 29.7.17 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(1) स्व स्त्रोतः– ग्राम पंचायत रिवालसर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरणः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	910081	471797	1381878	190167	1191711
2015–16	1191711	208435	1400146	47971	1352175
2016–17	1352175	415414	1767589	169967	1597622

(2) अनुदानः– ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2014–15	608276.17	2700581	3308857.17	2594566.00	714291.17
2015–16	714291.17	3166435	3880726.17	2207236.62	1673489.55
2016–17	1673489.55	6117915	7791404.55	5119147.00	2672257.55

4.1 रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.28 लाख का भारी अन्तरः–

स्वः स्त्रोतः–		
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही का अन्तशेष		1597622
अनुदानः–		
दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बहियों का अन्तशेष		2672257.55
	कुल योग	**4269879.55**
दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंक खातों का अन्तशेष		4301265.48
(संलग्न परिशिष्ट–II)		
दिनांक 31.3.2017 को हस्तगत राशि		3499
	कुल योग	**4304764.48**
	अन्तर	**34884.93**

अन्तर का कारणः–

(i) दिनांक 28.3.2017 को जारी किया चैक संख्या 513310 जिसका भुगतान 03.04.17 को हुआ	6700
शेष अन्तर	28184.93

जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा समय पर रोकड़ बहियों के अन्त शेष का, बैंक खातों के अन्तशेष से मिलान न करने के कारण, रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹28184.93 का भारी अन्तर है जिसका मिलान करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्या 001, दिनांक 26.7.17 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक मिलान नहीं किया गया जिसका अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही तथा बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्तें) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण देते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाये।

5 पंचायत राजस्व ₹14.57 लाख की वसूली शेषः–

(क) पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.83 लाख वसूली हेतुः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय के अन्तर्गत गृहकर से सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट–III** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को गृहकर ₹82595 की वसूली शेष थी। अतः गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, बकाया राशि की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

(ख) पंचायत राजस्व (माबाईल टावर फीस) ₹35000 वसूली हेतुः–

ग्राम पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय के अन्तर्गत उक्त मद से प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत परिधि (क्षेत्र) में विभिन्न कम्पनियों द्वारा 7 मोबाईल टावर स्थापित है तथा संलग्न **परिशिष्ट–IV** के अनुसार दिनांक

31.3.17 को इस मद से ₹35000 की वसूली शेष थी। अतः टावर फीस की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

(ग) पंचायत राजस्व (दुकानों के किराये) ₹13.40 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से उक्त शीर्ष, के अन्तर्गत प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न **परिशिष्ट–V** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 को दुकानों के किराये की ₹1339689 की वसूली शेष थी। अतः दुकानों के किराये की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए, बकाया राशि की शीघ्र वसूली करना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) दुकानों के किराये की वसूली में अनियमितताएँः–

ग्राम पंचायत की दुकानों के किराये से सम्बन्धित आय का अंकेक्षण करने पर निम्न अनियमितताएं पाई गई।

(i) ग्राम पंचायत के दुकानों के किराए के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया के ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के अधीन कुल 26 दुकानें है जिनमें 21 ग्राम पंचायत द्वारा तथा 05 खण्ड विकास समिति द्वारा निर्मित हैं, जिनका किराया भी ग्राम पंचायत द्वारा वसूल किया जाता है। सभी दुकानें किराये पर आबंटित की गई है परन्तु 26 में से केवल 14 दुकानदारों के साथ ही किराये के अनुबन्ध बनाये गये है। अतः सभी किरायेदारों/दुकानदारों के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करवाये जाये तथा मासिक किराये में वृद्धि का प्रावधान करते हुए। समय–2 पर इन अनुबन्धों का नवीकरण भी किया जाये।

(ii) दुकानों के किराये की विलम्बित (Belated) वसूलीः–

चयनित मासों में वसूल किये गए दुकानों के किराये का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा देरी से किराये की वसूली की गई जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें तथा भविष्य के लिए समय पर किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	दुकान सं0	किरायेदार का नाम	वसूली का विवरण	वसूली की तिथि
1	11	श्री भागीरथ	माह 03/14 से 12/14 तक 407/प्रतिमाह की दर से ₹4070	8.12.14
2	16	श्री देवेन्द्र कुमार	माह 01/11 से 06/12 तक 330/प्रतिमाह की दर से ₹5940	10.12.14

3	07	श्री विजय कुमार	माह 08/2008 से 12/10 तक ₹2210 प्रतिमाह की दर से ₹64090	15.12.14
4	05	स्वयँ सहायता समूह सरकीधार	माह 02/08 से 04/2009 तक ₹1150 प्रतिमाह की दर से ₹17250	17.12.14
5	04	श्रीमती मंजु लता	माह 03/07 से 02/12 तक ₹1151 प्रतिमाह की दर से ₹69060	19.12.14
6	02 (द्वितीय तल)	श्री सुशील कुमार	09/13 से 08/14 तक ₹600 प्रतिमाह ₹7200	2.3.16
7	18	हि0प्र0प0 निगम सरकाघाट	07/2006 से कोई वसूली नहीं (मासिक किराया 228)	–

6 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–VI** में दिये गये विवरण के अनुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जायें।

7 अनुदान ₹26.72 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.3.17 तक अनुदान ₹2672257 उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार इस अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–2 सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

8 जलपान के बिल पर ₹630 का अधिक भुगतानः–

च्यनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वाउचर संख्या 148 माह 01/15 (सामान्य) के अन्तर्गत, ठाकुर टी स्टॉल को उनके बिल संख्या 48 दिनांक 29.12.14 ₹1421 का भुगतान किया गया तथा इस बिल में ₹630 का पिछला बकाया दर्शाया गया है परन्तु दुकानदार के पिछले बिलों की जाँच करने पर कोई बकाया राशि नहीं पाई गई। अतः बिना जाँच पड़ताल के इस बकाया राशि के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा इस अधिक भुगतान की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

9 पंचायत निधि से ₹0.04 लाख की अधिक अदायगीः–

च्यनित मासों के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वाटरशैड शीर्ष के वाउचर संख्या 13 तथा 14 (माह 01/15) राशि क्रमशः ₹25381 तथा ₹5511 के भुगतान के लिए चैक संख्या 583466 दिनांक 29.1.15 द्वारा ₹34600 की निकासी की गई, जबकि उक्त वाउचरों की देय राशि (25381+5511)=₹30892 बनती है तथा इस अधिक निकासी ₹3708 का उपयोग किसी अन्य वोचर के भुगतान के लिए नहीं किया गया और न ही इस राशि (₹3708) को पंचायत निधि में जमा करवाया गया। अतः इस अधिक निकासी की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 क्रय सामग्री लागत ₹1.11 लाख की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 90 तथा 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि करने जारी करने तथा भण्डारण की औपचारिकताऐं प्रावधित है। चयनित माह के व्यय के वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹111022 की क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि भण्डारण रजिस्टर में नहीं की गई है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित तथा आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

क्र0सं0	वा0सं0 / माह	विवरण	आपूर्तिकार	बिल सं0	राशि
1	145 माह 01 / 15 (सामान्य)	70 बैग सीमेंन्ट	हि0प्र0 आपूर्ति निगम	1467505 दिनांक 24.1.15	14420
2	146 माह 01 / 15 (सामान्य)	ईलैक्ट्रिकल सामग्री	मै0 सिंह हैण्डलूम	911 दिनांक	3679
3	150 माह 01 / 15 (सामान्य)	निर्माण सामग्री (रेत व बजरी)	शर्मा गुडस कैरियर	20 दिनांक 17.1. 15	12800
4	11 तथा 11 माह 01 / 15 (सामान्य) (W.S.)	53 बैग सीमेंन्ट	हि0प्र0 आपूर्ति निगम	1467503 व 1467541 दिनांक	10918
5	27 माह 07 / 15 (सामान्य)	स्टेशनरी	महाजन जनरल, स्टोर	7805 दिनांक	1460
6	30 माह 07 / 15 (सामान्य)	खेल सामग्री	मै0 गुलरिया एण्टरप्राईजिज	128 दिनांक 13. 7.15	38325
7	129 माह 01 / 17 (सामान्य)	2 अलमारियाँ	मै0 सन्धु स्टील इण्डस्ट्रीज	250 दिनांक 15. 1.17	15000
8	100 माह 01 / 15 (नरेगा)	70 बैग सीमेन्ट	हि0प्र0 आपूर्ति निगम	1467504 दिनांक 15.1.15	14420
				कुल योग	**111022**

11 बिना उचित बिल / वाउचर ₹0.78 लाख का अनियमित व्ययः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (1) तथा (2) के अनुसार पंचायत द्वारा किये जाने वाले किसी भी भुगतान के समर्थन में भुगतान के पूर्ण विवरण को स्पष्ट करते हुए, वाउचर बनाना अनिवार्य है परन्तु चयनित माह के व्ययों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में बिना वाउचर बनाए ₹77500 के भुगतान किये गए तथा अभिलेख में केवल प्राप्तकर्ताओं की पावतियाँ ही संलग्न पाई गई, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित है तथा आपत्तिजनक है जिसे स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सभी भुगतान उचित बिल / वाउचर के उपरान्त ही किये जायें।

क्र0सं0	वा0सं0 / माह	विवरण	भुगतान का माध्यम	राशि
1	147 माह 01 / 15 (सामान्य)	पशु सहायक को माह 11 / 14 का परिश्रमिक	चैक संख्या 58274 दिनांक 16.1.15	5000

2	152 माह 01/15 (सामान्य)	–यथोपरि– माह 12/14	नकद	5000
3	151 माह 01/15 (सामान्य)	सफाई कर्मी का माह 11 तथा 12/14 का पारिश्रमिक	नकद	1800
4	28 माह 07/15 (सामान्य)	पंचायत पदाधिकारियों का मानदेय	नकद	28700
5	33 माह 07/15 (सामान्य)	पशु सहायक का माह 03/15, 04/15, 05/15 का पारिश्रमिक	चैक संख्या 486001 दिनांक 26.7.15	15000
6	124 माह 01/17 (सामान्य)	सफाई कर्मी का 12/2016 का पारिश्रमिक	नकद	1000
7	125 माह 01/17 (सामान्य)	पशु सहायक का 08, 09, 10/16 को पारिश्रमिक	चैक संख्या 492486 दिनांक 9.1.17	21000
			कुल योग	**77500**

12 मनरेगा के अन्तर्गत किए गए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण न करवानाः–

ग्राम पंचायत के मनरेगा से सम्बन्धित कार्यों का अंकेक्षण करने पर पाया गया इस अनुदान द्वारा अधिकतर कार्यों में निजी जमीन का विकास ही करवाया गया था। ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11060/3/2009–नरेगा दिनांक 01.09.2009 के अनुसार, इस अनुदान से निजि जमीन पर करवाये गये कार्यों का ग्राम पंचायत द्वारा गठित सामाजिक अंकेक्षण समिति से सामाजिक अंकेक्षण करवाना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा निजि भूमि पर नरेगा के अन्तर्गत करवाये/करवाये जाने वाले सभी विकासात्मक कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण करवाना सुनिश्चित किया जाये।

13 विहित रजिस्टरों का अनुरक्षण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, संकर्म, भत्ते, कराधान) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत, विभिन्न रजिस्टर का अनुरक्षण, ग्राम पंचायत द्वारा, अनिवार्य है, परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित/आपत्तिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार निम्न रजिस्टरों का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(1) अनुदान रजिस्टर

(2) यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर

(3) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर

(4) प्रतिस्थापना बिल चैक रजिस्टर

(5) वर्गीकृत सार (Classified Abstract) रजिस्टर

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** अंकेक्षण में पाई जाने वाली लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटान कर दिया गया। अतः उक्त विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया।

15 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर के लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (11) 28/2017—खण्ड—1—60—63 दिनाँक 03.01.2018
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत लोअर रिवालसर, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046